

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

आपके जोन के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के ऐसे कार्मिक जिन्हें यदि निलम्बित अथवा सेवा से पदच्युत किया गया है एवं प्रकरण 06 माह से अधिक समय से विचाराधीन है, तो उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में आज ही ई0मेल-cta3comhqlu-up@nic.in के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रारूप

क्रम सं0	जोन / जनपद	कर्मचारी का नाम / ' पदनाम	निलम्बन का दिनांक	विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का दिनांक	किस स्तर पर लम्बित
1	2	3	4	5	6

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, राज्य कर
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0 व दिनांक उक्त।

1- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

12/05/2022
एडीशनल कमिश्नर, राज्य कर
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0)
उ0प्र0, लखनऊ।